

निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक: ८५४४ / दि०ज०स० / लेखा / बजट / 2020-21 लखनऊ  
आहरण वितरण अधिकारी,  
मुख्यालय।

दिनांक: 15 फरवरी, 2021

विषय:- अनुदान संख्या-79 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02 समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-07-संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना, गोरखपुर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र का बजट आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-79 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-07-संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना, गोरखपुर -26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र हेतु शासनादेश संख्या-88/2020/1350/65-2-2020-07(बजट)/2015 दिनांक-18.09.2020 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसका आवंटन ₹ 72,00,000/- (₹ बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के आधीन संलग्नकानुसार एतद् द्वारा आपके निवर्तन पर रखी जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

1. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
2. आवंटित धनराशि में से समय-समय पर उतनी ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हो। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी०एल०ए० में न रखी जाये। आवंटित धनराशि का शत-प्रतिशत इसी वित्तीय वर्ष में व्यय आपका उत्तरदायित्व है।
3. जिन मदों में धनराशि आवंटित की गयी है उन्हीं मदों में नियमानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक/बजट मैनुअल एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये।
4. धनराशि/आहरण वितरण एवं अन्य कार्यवाहियों वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मुख्यालय का होगा।
6. प्रस्तावित वस्तुओं का मानक निर्धारित करते हुये जेम पोर्टल के माध्यम से उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० द्वारा पारदर्शी तरीके से स्वयं किया जायेगा तथा इसमें कार्यदायी संस्था का सहयोग नहीं लिया जायेगा।
7. उपकरणों एवं सामग्रियों के क्रय संबंधी नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मुख्यालय का होगा।
8. सामग्री की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का सम्पूर्ण दायित्व उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मुख्यालय का होगा।
9. इस संबंध में निर्धारित योजना की गाइलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. शासनादेश संख्या-15/2020/291/65-2-2020-07(बजट)/2015 दिनांक-05.02.2020 एवं शासनादेश संख्या-88/2020/1350/65-2-2020-07(बजट)/2015 दिनांक-18.09.2020 की शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,


(अनूप कुमार)  
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, अनु०-2
2. महालेखाकार हकदारी/ऑडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक।

5. श्री राहुल अग्रवाल, वरिष्ठ सहायक को बजट आवंटन एवं शासनादेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



(आबिद अली अंसारी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

प्रेषक,

अजीत कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ:

दिनांक 18 सितम्बर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज (आवासीय) जनपद-गोरखपुर में फर्नीचर, उपकरण, बर्तन इत्यादि हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-1218/दि०ज०स०वि०/संकेत-श्रवणबाधित-फर्नीचर/2020-21 दिनांक 30.07.2020, जिसमें संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज (आवासीय) जनपद-गोरखपुर में फर्नीचर, उपकरण, बर्तन इत्यादि की व्यवस्था हेतु गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि रू० 72.00 लाख से सामग्री की आपूर्ति कोविड-19 महामारी के कारण हुये लॉकडाउन के फलस्वरूप न होने के कारण उक्त धनराशि को समर्पित किये जाने से अवगत कराते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त कार्य हेतु मद में प्रावधानित धनराशि रू० 72.00 लाख को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. अतः आपके उक्त पत्र संख्या-1218/दि०ज०स०वि०/संकेत-श्रवणबाधित-फर्नीचर/2020-21 दिनांक 30.07.2020 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-15/2020/291/65-2-2020-07(बजट)/2015 दिनांक 05.02.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज (आवासीय) जनपद-गोरखपुर में फर्नीचर, उपकरण, बर्तन इत्यादि की व्यवस्था हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू० 72.00 लाख (रूपये बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० का होगा।
- (ii) यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (iii) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी०एल०ए०/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।
- (iv) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० का होगा।

- (v) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, उसका उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
- (vi) प्रस्तावित वस्तुओं का मानक निर्धारित करते हुये GeM Portal के माध्यम से निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा पारदर्शी तरीके से स्वयं किया जायेगा तथा इसमें कार्यदायी संस्था व सहयोग नहीं लिया जायेगा।
- (vii) उपकरणों एवं सामग्रियों के क्रय संबंधी नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्ण अनुपाल सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
- (viii) सामग्री की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
- (ix) शासनादेश संख्या-15/2020/291/65-2-2020-07(बजट)/2015 दिनांक 05.02.2020 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (x) इस संबंध में निर्धारित योजना की गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों के कल्याण-07-संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना, गोखरपुर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-4-654/दस-2020 दिनांक- 15 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
अजीत कुमार  
विशेष सचिव।

संख्या-88/2020/1350(1)/65-2-2020 तद्विनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम(निर्माण), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गोरखपुर ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1 ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
संजीव श्रीवास्तव  
अनु सचिव।